पत्रांक-अ0सं0क0- 05 03/2009......./ 248

(93)

विकास यात्रा
ATL

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

श्री हुसैन यूसुफ रिजवी
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

उप सचिव
मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 11/06/09

विषयः- विकास यात्रा-2009 के दौरान प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

प्रसंगः- मुख्यमंत्री सचिवालय के संदर्भ संख्या- 1002930206

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 790 वि0या0 दिनांक 12.05.2009 से प्राप्त सुश्री शाइस्ता परवीन एवं शगुफ्ता परवीन, ग्राम-हुसैना, जिला- बेगुसराय के आवेदन-पत्र की विषय-वस्तु केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं के प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में छात्रवृत्ति की स्वीकृति है । इस कार्य हेतु इस विभाग ने बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड को डेडिकेटेड सेल बनाया है ।

उक्त डेडिकेटेड सेल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आवेदिका सुश्री शाइस्ता परवीन (वर्ग-1) को 1000/- रुपये (एक हजार रुपये) तथा शगुफ्ता परवीन (वर्ग-VI) को 5700/- रुपये (पाँच हजार सात सौ रुपये) की छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है । छात्रवृत्ति की स्वीकृत राशि का वितरण संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा । इस हेतु ड्राफ्ट बनवाने की कार्रवाई की जा रही है ।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार वर्ग- 1 की छात्रा को स्वीकृत कुल 1,000/- रुपये निर्वहन अनुदान के है जिनका भुगतान छात्रा को होगा । वर्ग- VI की छात्रा को स्वीकृत 5700/- रुपये (पाँच हजार सात सौ रुपये) की राशि में निर्वहन अनुदान 1000/- रुपये (एक हजार रुपये) का भुगतान छात्रा को होगा और शेष प्रवेश / शिक्षण शुल्क के मद की राशि का भुगतान संबंधित विद्यालय (मध्य विद्यालय, बरबीघी) को किया जायेगा । यदि छात्रा ने विद्यालय को यह शुल्क पूर्व में ही भुगतान कर दिये है, तो विद्यालय छात्रा को इसकी भरपायी करेगा ।

इस प्रकार इस आवेदन को निष्पादित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

10/6/09

सरकार के अवर सचिव

16/6/09